आदेश की कम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

न्यायालय, समाहर्त्ता, पूर्णियाँ

विविध अनुमति वाद संख्या–79/11

बिहार कास्तकारी अधिनियम की धारा–49 (जी0) अन्तर्गत

अधिक लाल उरांव, पिता–स्व0 धांसी उरांव, साकिन–बेतौना, थाना–कसबा, जिला–पूर्णियाँ..... आवेदक
....

बनाम्

राज्य सरकार .... विपक्षी

आदेश

यह विविध अनुमति वाद आवेदक द्वारा बिहार कास्तकारी अधिनियम की धारा–49 (जी0) अन्तर्गत मौजा–बेतौना, थाना नं0–232, खाता संख्या–140, खेसरा संख्या–429, रकवा–0.10 डिसमिल 05 कड़ी जमीन अब्दूल मन्नान, पिता–स्व0 दाउद अली, साकिन–लाल बिहार बेतौना के साथ बिकी करने के अनुमति हेतु दायर किया गया है।

आवेदक का कथन है कि यह जमीन भू–हदबन्दी एवं वासगीत पर्चा से मुक्त है। प्रश्नगत जमीन आवेदक के दादा के नाम जमाबन्दी दर्ज है।

इस संबंध में एक वाद अपर समाहर्त्ता, पूर्णियाँ के न्यायालय में दायर किया गया था, जिसका वाद संख्या–25/09 है। उक्त अभिलेख द्वारा अंचलाधिकारी, कसबा से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गयी थी। अंचलाधिकारी, कसबा के पत्रांक 100, दिनांक 08.02.2010 द्वारा प्रतिवेदन प्राप्त है, जो संबंधित अभिलेख के साथ संलग्न है। आवेदक द्वारा धारित जमीन का बयौरा निम्न प्रकार है। प्रश्नगत जमीन आवेदक के स्वर्गीय दादा लेधरू उरांव, पिता–वधरू उरांव एवं आवेदक के नाम से पंजी–II में दर्ज है। आवेदक के दादा–दादी एवं माता–पिता की मृत्यु हो चुकी है।

जमीन का विवरण

मौजा/थाना नम्बर	खाता नं0	खेसरा नं0	कुल रकवा	अवशेष रकवा	आवेदक का हिस्सा
बेतौना/232	139	452, 658	5.10	2.97	19.50/4 = 4.875 4.87.5/5 = 0.975
	140	429	1.14	1.14	
	141	675, 677, 797, 460, 459	4.26	2.50 1/2	
	142		0.08	0.08	
	143		1.60	1.60	
	144	732 से 736, 709	7.32	5.86	

आदेश की कम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश कार्रवाई टिप्पणी
1	2	

मौजा/थाना नम्बर	खाता नं0	खेसरा नं0	कुल रकवा	अवशेष रकवा	आवेदक का हिस्सा
बेतौना/ 232	26	648	0.18	0.18	0.18
	26	648	1.35	1.35	0.67.5

आवेदक के स्वर्गीय पिता चार भाई कमशः धासी लाल उरावं वो खुसाई लाल उरांव, चुकाई उरांव वो छट्टू उरांव को फलतः आवेदक के पिता के हिस्से में 19.50/4 = 4.87.5 एकड़ भूमि होता है। आवेदक भी चार भाई एवं एक बहन है। इसलिये आवेदक अपने पैतृक हिस्से में 4.87.5/5 = 0.97.5 एकड़ हिस्सा होता है तथा 0.18 डिसमिल आवेदक के नाम पर एवं 1.35 एकड़ जमीन आवेदक एवं भाई के नाम से है। इस प्रकार आवेदक के अंश में 0. 97.5 + 0.18 +0.67.5 = 1.83 एकड़ भूमि है, जिसका लगान वर्ष 2010 तक भुगतान है।

<u>बिकी की जानेवाली जमीन का विवरण</u>

मौजा	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा नं0	रकवा
बेतौना	232	140	429	0.10.5 एकड़

प्रश्नगत भूमि बिकी के पश्चात आवेदक के पास 1.72.5 एकड़ भूमि बचता है, जिससे वे भूमिहीन के श्रेणी में नहीं आते है। प्रश्नगत भूमि बिहार सरकार, भूदान, भू-हदबन्दी एवं स्वत्व वाद से मुक्त है।

अतः अभिलेख में उपलब्ध सभी कागजातों के अवलोकनार्थ आवेदक को प्रस्तावित भूमि के बिकी की अनुमति दी जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ